



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 18.01.2025

***कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 03/25 धारा 137(2)/87
BNS से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार***

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 003/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश कुमार पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम अलीगढ़ म0 कुआंखेड़ा बजीर आलम खां कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

01.आकाश कुमार पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम अलीगढ़ म0 कुआंखेड़ा बजीर आलम खां कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 02.01.2025 को वादी द्वारा कोतवाली कायमगंज पर सूचना दी गयी कि अभि० आकाश कुमार पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम अलीगढ़ कुआंखेड़ा बजीर आलम खां कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ उसकी बहन को शादी के उद्देश्य से भगा ले गया है। सूचना पर तत्काल कोतवाली कायमगंज पर मु०अ०सं० 003/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम आकाश उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अपहर्ता की बरामदगी की गयी अभि० आकाश उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त आकाश कुमार उपरोक्त ने अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा० न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--:-

01. मु०अ०सं० 003/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

- 1- उ०नि० जितेन्द्र कुमार कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।
- 2- म०उ०नि० सुधापाल
- 3- का० आशू देवल ।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

दि0- 18.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त हरिराम पुत्र रामचरन निवासी चिलकोर थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 189/1991 वाद स०- 15945/2024 धारा- 379,429 भा०द०वि० थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 18.01.2025 को मा० न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) फर्रु० द्वारा अभि को दोषसिद्ध कर जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ- श्रीमती करुणा सिंह



कोर्ट मोहरीर मा०का० आरती शर्मा



पैरोकार का० बब्लू कुमार



Ganipur Jogpur, Uttar Pradesh, India
00, Nawabganj, Ganipur Jogpur, Uttar Pradesh
209501, India
Lat 27.433188° Long 79.401858°



Karimganj, Uttar Pradesh, India
25, Karimganj, Hajipur, Uttar Pradesh 209504, India
Lat 27.481042° Long 79.452847°
18/01/25 06:25 PM GMT +05:30



Karimganj, Uttar Pradesh, India
25, Karimganj, Hajipur, Uttar Pradesh 209504, India
Lat 27.481043° Long 79.452852°
18/01/25 06:25 PM GMT +05:30



Farrukhabad, Uttar Pradesh, India
Farrukhabad - Aijganj Rd, Devrampur, Farrukhabad, Uttar
Pradesh 209625, India
Lat 27.38715° Long 79.587793°

